राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर
जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी-स्कीम, जयपुर-302005
दूरभाष सं. 0141-2229314, 2226728 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsgraj.in, www.cmar-india.org

क्रमांकः भूमि/एफ.7(ड)( )/डीएलबी/2020/ 4436 दिनांक :- 11/11/2020

आदेश

विषयः- राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये आंवटन नीति-2015 के अन्तर्गत भूमि का आवंटन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये आंवटन नीति-2015 के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों, समाजों आदि को भूमि आवंटन के मापदण्ड आदि निर्धारित किये गये है। कई प्रकरणों में नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पालिका मण्डलों को भी कुछ सीमा तक भूमि आवंटन की शक्तियां दी गयी है।

इस संदर्भ में अब सभी नगरीय निकायों (नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावें, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो। प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

यदि किसी अधिकारी के द्वारा इन आदेशों के बावजूद भी राज्य सरकार की पुर्वानुमति के बिना भू-आवंटन किया गया तो उसके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देश/आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः भूमि/एफ.7(ड)( )/डीएलबी/2020/ 4437-4653 दिनांक :- 11/11/2020

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं, समस्त राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्टआई.टी.सैल) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
6. सुरक्षित पत्रावली।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

11-11-2020